महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 197 पी / छः–पु–3–23–2(291)पी / 2022

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 23 जनवरी, 2023**

विषयः–पुलिस अधिकारियों द्वारा नोटिस निर्गतीकरण एवं आनुषांगिक विषयों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि अपराध न्याय प्रणाली की एक प्रमुख चुनौती विवेचना में अनियमितताएं भी हैं, जिनका लाभ प्रायः अभियुक्तों को मिलता है जो कदापि राज्य हित मे नहीं है। विवेचना के दौरान गवाहों या संदिग्धों को बुलाने के सम्बन्ध में या धारा–174 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत की जाने वाली जॉच के सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–41ए, 91, 160 और 175 की विधिक आवश्यकताओं का पालन न करना भी इसी श्रेणी की अनियमितताएं हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिस0 एप्लीकेशन संख्या–1849 / 2021 In SLP (Crl) N0-5191/2021 सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सी0बी0आई0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 11.07.2022 द्वारा इस विषय में कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्रचलित विवेचनाओं में निम्नवत् निर्गत दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

क– धारा 41ए दं0प्र0सं0: पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने की सूचना सम्बन्धी प्रावधान का अनुपालन–

(i) पुलिस अधिकारी उन सभी मामलों में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नही है उस सम्बन्धित संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(ii) पुलिस अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से दं0प्र0सं0 के अध्याय–VI मे निहित प्रावधानों की शर्तो के अनुसार ही धारा–41ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उक्त नोटिस का मूल प्रपत्र आरोपी या संदिग्ध पर तामील किया जायेगा और उसकी एक कार्बन कापी (श्वेत पत्र पर) विवेचना अधिकारी द्वारा अपनी केस डायरी मे रखी जायेगी जिसे आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को दिखाया जा सकता है।

(iii) धारा–41ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस का प्रारूप और इसकी पावती अनुलग्नक–A के रूप में संलग्न है।

(iv) सम्बन्धित संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति के लिए धारा–41ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस की शर्तो का पालन करना तथा स्वयं को अपेक्षित समय और स्थान पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

GQ 2020 5-22

(v) एक संदिग्ध या आरोपी, जो औपचारिक रूप से धारा–41ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत एक नोटिस प्राप्त करता है और पुलिस स्टेशन में जांच या पूछताछ के लिए सम्बन्धित अधिकारी के सामने प्रस्तुत होता है सम्बन्धित विवेचना अधिकारी से पावती के लिए अनुरोध कर सकता है।

(vi) जहां कि किसी संदिग्ध या आरोपित व्यक्ति को पुलिस थाने से भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है (जैसा कि धारा–41ए (1) दं0प्र0सं0 में व्यवस्था है) उक्त संदिग्ध व्यक्ति उस स्थान पर एक स्वतंत्र साक्षी तथा स्वयं सम्बन्धित विवेचना/जांच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पावती (Acknowledgement) प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(vii) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के सम्बन्ध में तब तक गिरफ्तार नही किया जायेगा जब तक लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(viii) यदि आरोपी किसी वैध और न्यायोचित कारण की वजह से दिये गये समय पर स्वयं को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो आरोपी को तत्काल लिखित रूप में विवेचना अधिकारी को सूचित करना चाहिए और एक उचित अवधि के भीतर वैकल्पिक समय की मांग करनी चाहिए, जो आदर्श रूप से उस तिथि से 04 कार्य दिवसों की अवधि से अधिक नही होनी चाहिए, जिस तिथि को उसे उपस्थित होना आवश्यक था जब तक कि वह ऐसी अनुपस्थित के लिए उचित कारण दिखाने में असमर्थ है।

(ix) जब तक यह विवेचना के लिए हानिकारक न हो, पुलिस अधिकारी इस तरह के पुनर्निर्धारण की अनुमति दे सकता है, यद्यपि केस डायरी में उचित कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। यदि विवेचना अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि विवेचना/जांच में विलम्ब करने के लिए इस तरह के विस्तार की मांग की जा रही है या संदिग्ध या आरोपी व्यक्ति समय मांग पर टालमटोल कर रहा है, (सम्बन्धित पुलिस स्टेशन के एसएचओ/डीसीपी को सूचित करते हुए), तो इस प्रकार के अनुरोध को अस्वीकार कर उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करना चाहिए।

(x) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किये गये हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करें।

ख– धारा 91 दं0प्र0सं0: दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन सम्बन्धी प्रावधान का अनुपालन–

(i) जब कभी थानाध्यक्ष यह समझता है कि किसी ऐसे विवेचना या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे।

(ii) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गयी है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस

दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जायेगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(iii) धारा–91 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस का प्रारूप और इसकी पावती अनुलग्नक–B के रूप में संलग्न है।

ग– धारा 160 दं0प्र0सं0: साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति सम्बन्धी प्रावधान का अनुपालन–

(i) कोई विवेचना अधिकारी, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसकी दी गयी इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थतियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा;

परन्तु किसी पुरूष से जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मांनसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरूष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ii) धारा 160 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस का प्रारूप और इसकी पावती अनुलग्नक–C के रूप में संलग्न है।

घ– धारा 175 दं0प्र0सं0: व्यक्तियों को समन करने की शक्ति सम्बन्धी प्रावधान का अनुपालन–

(i) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त विवेचना के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यो से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है।

(ii) धारा 175 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस का प्रारूप और इसकी पावती अनुलग्नक–D के रूप में संलग्न है।

(iii) ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही–सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा।

(iv) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा–170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा।

ड़– विवेचना/जांच अधिकारी के दायित्वों का अनुपालन–

(i) नोटिस जारी करते समय सम्बन्धित विवेचना/जांच अधिकारी को दिये गये स्थान और समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति या आधिकारिक आवश्यकता के कारण ऐसे अधिकारी का नियत समय व स्थान पर उपस्थित होना सम्भव न हो तो ऐसी दशा में विवेचनाधिकारी या एस0एच0ओ0 नोटिस प्राप्तकर्ता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(ii) यद्यपि गम्भीर प्रकृति की ऐसी किसी दुर्लभ परिस्थिति में जहॉ उपरोक्त अधिकारियों में से कोई भी उपस्थित न हो, नोटिस प्राप्तकर्ता की उपस्थिति दर्ज करते समय ड्यूटी अधिकारी आवश्यक पावती जारी करेगा और इस आशय की रोजनामचाआम (जी0डी0) में प्रविष्टि भी करेगा।

(iii) ड्यूटी अधिकारी नोटिसी/नोटिस प्राप्तकर्ता से स्व–प्रमाणित पहचान पत्र (आई0डी0) की एक प्रति भी एकत्र करेगा और तद्नुसार विवेचना अधिकारी या एस0एच0ओ0

को सूचित करेगा। जी0डी0 एंट्री और आईडी प्रूफ की कापी विवेचना अधिकारी के आने पर उसे सौंप दी जायेगी।

(iv) जांच/विवेचना अधिकारी अपने द्वारा बुलाये गये व्यक्तियों की व्यक्तिगत सुरक्षा के सम्बन्ध में पूरी देखभाल और सावधानी बरतने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें ऐसे गवाह या संदिग्ध को आत्महत्या करने का प्रयास करने या स्वयं को कोई शारीरिक क्षति पहुचाने की सम्भावना से बचाना चाहिए। विवेचना अधिकारी का कार्य जहां तक सम्भव हो आगन्तुक कक्ष या पुलिस थानो के भूतल में किया जाना चाहिए।

(v) जब किसी महिला से पूछताछ की जानी हो और दं0प्र0सं0 की धारा 160 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाना हो उस स्थिति में विवेचना अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक महिला को पुलिस थाने में नही बुलाया जा सकता है। हालांकि, नोटिस में विवरण और समय का उल्लेख किया जा सकता है जहां महिलाओं से पूछताछ की जाएगी, जो सामान्य रूप से वह स्थान होना चाहिए जहां महिलाएं रहती है। यह पूछताछ आदर्श रूप से महिला के परिवारीजनों या महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

(vi) धारा 160 दं0प्र0सं0 के अनुसार, पंद्रह वर्ष से कम या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरूष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को ऐसे स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है जिसमें ऐसा पुरूष निवास करता है।

(vii) किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, अठारह वर्ष से कम आयु के पुरूष से पूछताछ की जा सकती है जहॉ वह रहता है और यह पूछताछ आदर्श रूप से उसके परिवार के सदस्यों, संरक्षकों, उपयुक्त व्यक्तियों अथवा किशोर कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

(viii) दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के और उपरोक्त प्रकिया का पालन करने में विवेचना अधिकारी की ओर से विफलता उसे लागू नियमों के अन्तर्गत उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी ठहरायेगी।

(ix) सार्वजनिक समर्थन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से जनता को शिक्षित करने के लिए वृहद प्रचार किया जाना चाहिए।

(x) यह स्थायी आदेश गृह विभाग, उत्तर प्रदेश पुलिस और अभियोजन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता को पालन की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया जाय।

(xi) उपरोक्त सूचना को पुलिस थानों, अधीनस्थ न्यायालयों और माननीय उच्च न्यायालय में प्रमुख स्थानो पर प्रदर्शित कराया जाना चाहिए तथा राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि जनता को उनके अधिकारो और उनके लिए उपलब्ध संसाधनों के विषय में सूचित किया जा सके।

(xii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, 91, 160 और 175 के प्रभावी अनुपालन के प्रति पुलिस अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से तैयार किये जाय।

(xiii) अनुलग्नक–E के अनुसार प्रत्येक थाने में ड्यूटी अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर वर्ष–वार तैयार किया जायेगा, जिसमें विवेचना/जांच अधिकारियों द्वारा जारी नोटिसों का प्रासंगिक विवरण अंकित किया जायेगा।

(xiv) साक्षियों को तलब किये जाते समय शासन द्वारा साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–यू ओ–64/छः–पु–9–2022, दिनांक 23.11.2022 के दिशा–निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाय।

च–अभिलेखों को बनाये रखना/नष्ट करना–

(i) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के पास विवेचना अधिकारी/अधिकारियों द्वारा जमा की गयी पुरानी पुस्तिकाओं को मामलों के विचारण के दौरान उनकी आवश्यकता के दृष्टिगत विवेचना पूर्ण होने एवं धारा 173(2) व 173(8) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद तीन वर्ष तक बनाये रखा जायेगा।

(ii) यदि अभिलेख/अभिलेखों को विनिर्दिष्ट समयावधि के पश्चात भी बनाये रखे जाना हो तो सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी।

(iii) किसी भी मामले में ऐस अभिलेखों के अंतिम निस्तारण हेतु सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपाधीक्षक की सहमति ली जानी चाहिए।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य न होगी।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश, शासन।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. गृह नियन्त्रण कक्ष, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

18.01.2023
(बी0डी0 पॉल्सन)
सचिव, गृह